डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी. जी.

पंजी क्रमांक छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ. रायपुर/17/2001.

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 फरवरी 2002—माघ 12, शक 1923

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2002

क्रमांक 78/1929/2001/साप्रवि/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, जो वर्तमान में उनके नाम के समक्ष कालम-3 पर दर्शाये पदों पर कार्यरत हैं, को आगामी आदेश तक उनके नाम के सामने दर्शाये कॉलम-4 में उल्लेखित पदों पर नियुक्त किया जाता है :—

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

स.क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री विवेक ढांढ (1981) भा. प्र. से.	सचिव, लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पर्यावरण, अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, प्रशासक, राजधानी परियोजना.	सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पर्यावरण, अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, प्रशासक, राजधानी परियोजना.
2.	श्री आर. सी. सिन्हा (1982) भा. प्र. से.	सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	सचिव, राजस्व विभाग.
3.	श्री अजय सिंह (1983) भा. प्र. से.	सचिव, जल संसाधन, ऊर्जा एवं आयाकट, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़.	सचिव, ऊर्जा एवं आयाकट, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़.
4.	श्री एन. के. असवाल (1993) भा. प्र. से.	सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं राजस्व विभाग.	भारत सरकार में वरिष्ठ प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम जयपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु कार्य-मुक्त.
5.	श्री टी. एस. छतवाल (1984) भा. प्र. से.	सचिव,शिक्षा,सामान्य प्रशासन (राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ).	सचिव, लोक निर्माण विभाग, सा. प्र. वि. (राज्य पुन. प्रकोष्ठ).
6.	श्री एस. के. त्रिवेदी (1985) भा. प्र. से.	राज्यपाल के सचिव	सचिव, जल संसाधन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2002

क्रमांक 80/1929/2001/साप्रवि/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, जो वर्तमान में उनके नाम के समक्ष कालम-3 पर दर्शाये पदों पर कार्यरत हैं, को आगामी आदेश तक उनके नाम के सामने दर्शाये कॉलम-4 में उल्लेखित पदों पर नियुक्त किया जाता है :—

स.क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री एस. पी. त्रिवेदी (1983) भा. प्र. से.	विशेष सचिव, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर विभाग.	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग.
2.	श्री सी. के. खेतान (1987) भा. प्र. से.	विशेष सचिव, जनसंपर्क विभाग एवं संचालक जनसंपर्क.	प्रबंध संचालक राज्य सहकारी विपणन संघ पदस्थ करने हेतु सेवाएं कृषि विभाग को सौंपी जाती है.
3.	श्री के. डी. पी. राव (1988) भा. प्र. से.	विशेष सचिव, कृषि	विशेष सचिव, कृषि विभाग एवं प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड.

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	श्री जवाहर श्रीवास्तव (1988) भा. प्र. से.	विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	राज्यपाल के सचिव (प्रवर श्रेणी वेतनमान)
5.	श्री एस. के. पाठक (1990) भा. प्र. से.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम, संचालक, संस्थागत वित्त, पदेन संयुक्त सचिव वित्त.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़, अधोसंरचना विकास निगम, संचालक, संस्थागत वित्त, पदेन संयुक्त सचिव वित्त एवं संचालक जनसंपर्क.
6.	श्री अवध बिहारी (1991) भा. प्र. से.	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
7.	श्री एम. एस. ठाकुर (1991) भा. प्र. से.	कलेक्टर, कवर्धा	संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.
8.	श्री दुर्गेश चंद्र मिश्रा (1991) भा. प्र. से.	संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग
9.	श्री सुब्रत साहू (1992) भा. प्र. से.	कलेक्टर, सरगुजा	प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम पदस्थ किये गये जाने हेतु सेवाएं खाद्य विभाग को सौंपी जाती है.
10.	श्री एस. के. बेहार (1992) भा. प्र. से.	संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, ग्रामोद्योग सार्वजनिक उपक्रम विभाग.	आइफैड (IFAD) के अंतर्गत आदिवासी विकास समिति, स्टेट प्रोग्राम डायरेक्टर के पद पर प्रतिनियुक्ति.
11.	श्री एस. के. केहरी (1992) भा. प्र. से.	संचालक, मंडी बोर्ड,	कलेक्टर, कवर्धा
12.	श्रीमती मनिन्दर कौर द्विवेदी भा. प्र. से. (1995)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा.	उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
13.	श्री विवेक कुमार देवांगन, भा. प्र. से. (एम. टी. 1993)	उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास वि.	कलेक्टर, सरगुजा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्रा, प्रमुख सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग, ग्रामोद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2002

क्रमांक 37/2035/वा. उ./2001.—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मे. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमि. चांपा के बायलर क्रमांक एम. पी./4115 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 13-11-2001 से 12-2-2002 तक के लिए छूट देता है :—

1. संदर्भाधीन बॉलयर को पहुंचाने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार-मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बॉलयर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2001

क्रमांक एफ-1-8/52/ग्रामों./2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़, ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 की धारा-4 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आगामी आदेश पर्यन्त छत्तीसगढ़ राज्य के लिए छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन निम्नानुसार करता है :—

1.	माननीय महेन्द्र कर्मा, मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग, ग्रामोद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग	अध्यक्ष
2.	श्री पी. के. सागर, सचिव, खादी ग्रामोद्योग विकास केन्द्र मेलवापारा कोण्डागांव छत्तीसगढ़	सदस्य
3.	कुमारी एस. कोटश्वरी, जिला ग्रामोद्योग विकास मंडल नयामुन्डा जगदलपुर, छत्तीसगढ़	सदस्य
4.	श्री केयुर भूषण, पूर्व सांसद, सुन्दर नगर, (आम बगीचा के पास) रायपुर	सदस्य
5.	श्री हरिप्रेम बघेल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ग्राम पथरी (सिलयारी) रायपुर	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अथवा उसका प्रतिनिधि जो उप सचिव स्तर से कम का न हो.	सदस्य

7.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग अथवा उसका प्रतिनिधि जो उप सचिव स्तर से कम का न हो.	सदस्य
8.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग	प्रबंध संचालक तथा बोर्ड का पदेन सदस्य.

(2) उपरोक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. श्रीवास्तव, अवर सचिव.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2002

क्रमांक 78/298/2000/स्वा.—विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2794/298/2000/स्वा., दिनांक 25-6-2001 एवं सहपठित संशोधित अधिसूचना क्रमांक 61/298/2000/स्वा., दिनांक 4-1-2002 द्वारा गठित "राजीव जीवन रेखा कोष" से चिकित्सा के लिए अनुदान स्वीकृत करने हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का सदस्य होने संबंधी शर्त को राज्य शासन एतद्द्वारा विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. टोण्डर, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2001

विषय :— राज्य शासन के राजीव गांधी राज्य विकास संस्थान का गठन.

क्रमांक 5397/प्रशि./2001.—चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण लोकहित में यह आवश्यक हो गया है, कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में "राजीव गांधी राज्य विकास संस्थान" का गठन किया जावे.

2. अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ "राजीव गांधी राज्य विकास संस्थान" का गठन इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से करती है.

3. इस अधिसूचना के प्रकाशन से उन समस्त शक्तियों, कृत्यों तथा कर्त्तव्यों का प्रयोग, पालन या निर्वहन उक्त संस्थान द्वारा किया जावेगा.

Raipur, the 5th December 2001

Sub :— Creation of Rajeev Gandhi Rajya Vikas Sansthan by State Govt. Chhattisgarh.

No. 5397/Trg./2001.—Whereas the State Government is of the opinion that the circumstances exist which render it necessary in the public interest to create " Rajeev Gandhi Rajya Vikas Sansthan " in the Chhattisgarh State.

2. Now, therefore, the State Government hereby constitutes, "Rajeev Gandhi Rajya Vikas Sansthan" form the date of the Publication of the notification in the Chhattisgarh State Gazette.

3. Upon the publication of the notification all the power, functions and duties shall be exercised performed.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. राउत, सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2001

क्रमांक ए-1-ए/6/2001/14-1.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-9-2001 में सर्वश्री के. एन. राय एवं श्री बी. एस. धुर्वे, सहायक संचालक, कृषि को उप-संचालक, कृषि के पद पर पदोन्नत करते हुये दर्शाये गये वेतनमान ''रुपये 10000-375-152000'' को निम्नानुसार वेतंनमान पढ़ा जाये :—

''रुपये 10000-325-15200''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2001

क्रमांक एफ 9-7/गृह/2001.—सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र ''सहकारिता तथा सामान्य विधि द्वितीय प्रश्न-पत्र विषय'' में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्चस्तर **बिलासपुर संभाग**	
1.	श्री दिलीप जायसवाल	सहायक पंजीयक सहकारी समितियां.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2001

क्रमांक एफ 9-7/गृह/2001.—पंचायत एवं समाज सेवा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "समाज कल्याण" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्चस्तर	
	बिलासपुर संभाग	
1.	श्रीमती निर्मला भगत	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी
2.	श्री मनमोहन सिंह कुशराम	बाल विकास परियोजना अधिकारी
	रायपुर संभाग	
3.	श्री नवल सिंह रावटे	बाल विकास परियोजना अधिकारी
	निम्नस्तर	
	बस्तर संभाग	
1.	श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर	पर्यवेक्षक
	बिलासपुर संभाग	
2.	श्रीमती सुमित्रा पैकरा	पर्यवेक्षक
3.	श्रीमती अगुस्टीनो तिग्गा	पर्यवेक्षक
4.	श्रीमती कुसुम कांता एक्का	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी
5.	कुमारी रूक्मणी कश्यप	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी
	रायपुर संभाग	
6.	श्रीमती सरस्वती गढ़वाल	पर्यवेक्षक
7.	कुमारी सोना धुर्वे	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी
8.	श्रीमती हंसु साहू	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2001

क्रमांक एफ 9-8/गृह/2001.—सामान्य प्रशासन/राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 एवं 22 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "प्रशासनिक राजस्व विधि एवं प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न-पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्न-पत्र में आगामी परीक्षाओं में बैठने की छूट प्रदान की जाती है :—

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्नपत्र (4)	स्तर (5)
		बस्तर संभाग		
1.	श्री अरविन्द कुमार एक्का	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय	उच्चस्तर
2.	श्री महेन्द्र सिंह साहू	राजस्व निरीक्षक	तृतीय	निम्नस्तर
		बिलासपुर संभाग		
3.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय	उच्चस्तर
4.	श्रीमती पुष्पा साहू	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय एवं तृतीय	उच्चस्तर
5.	श्री तारन प्रकाश सिन्हा	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय	सश्रेय
6.	श्री संदीप ठाकुर	नायब तहसीलदार	द्वितीय	उच्चस्तर
		रायपुर संभाग		
7.	सुश्री लता नायक	नायब तहसीलदार	तृतीय	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2001

क्रमांक एफ-9-8/गृह/2001.—आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21 अगस्त, 2001 को प्रश्न- पत्र "प्रशासनिक राजस्व विधि एवं प्रक्रिया भाग-ए एवं द्वितीय प्रश्न-पत्र" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्चस्तर	
	बस्तर संभाग	
1.	श्री सोनदास बंजारे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
	बिलासपुर संभाग	
2.	श्री मोहित राम कैवर्त	मुख्य कार्यपालन अधिकारी

निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न-पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्न-पत्र में आगामी परीक्षाओं में बैठने से छूट प्रदान की जाती है.

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्नपत्र (4)	स्तर (5)
		बस्तर संभाग		
1.	श्री आनन्द जी सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	द्वितीय	उच्चस्तर
2.	श्री पारस राम पैकरा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	द्वितीय	उच्चस्तर
3.	श्री सोनदास बंजारे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	द्वितीय	उच्चस्तर
		बिलासपुर संभाग		
4.	श्री अच्छेराम नवरंग	जिला संयोजक	द्वितीय	उच्चस्तर
5.	श्री आज्ञामणी पटेल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	द्वितीय	उच्चस्तर
6.	श्री गोविन्द सिंह बढ़ाई	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	द्वितीय	उच्चस्तर
7.	श्री आर. पी. त्रिपाठी	अति. सहा. वि. आयुक्त	द्वितीय	उच्चस्तर
8.	श्री मन्नूलाल वर्मा	अति. सहा. वि. आयुक्त	प्रथम भाग-ए	उच्चसतर

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2001

क्रमांक एफ 9-9/गृह/2001.—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, को दिनांक 21 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र ''उद्योग संबंधी अधिनियम तथा नियम'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्चस्तर	
	बिलासपुर संभाग	
1.	श्री देबशरण सिंह ध्रुवा	प्रबंधक
	रायपुर संभाग	
2.	श्री आरिफ हुसैन यजदानी	प्रबंधक

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2001

क्रमांक एफ 9-27/गृह/2001.—सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "लेखा प्रथम (बिना पुस्तकों के) द्वितीय (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
	उच्चस्तर	
	रायपुर संभाग	
1.	श्री संतोष कुमार देवांगन	डिप्टी कलेक्टर
	निम्न स्तर	
	बस्तर संभाग	
1.	श्री महेन्द्र सिंह साहू	राजस्व निरीक्षक
2.	श्री सतरूपा साहू	राजस्व निरीक्षक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु पिल्ले, संयुक्त सचिव.

जेल विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 दिसंबर 2001

क्रमांक एफ-1/10/जेल/2001.—राज्य शासन जेल नियमावली के नियम 815 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उप जेल, बालोद एवं बेमेतरा में निम्नलिखित व्यक्तियों को तीन वर्ष के लिए अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है.

क्र. (1)	जेल का नाम (2)	अशासकीय संदर्शकों के नाम (3)
1.	उप जेल बालोद	(i) डॉ. प्रदीप जैन (ii) श्रीमती अनुराधा इंगले
2.	उप जेल बेमेतरा	(i) श्री टी. आर. जनार्दन (ii) श्रीमती प्रभा निवांगी

Raipur, the 14th December 2001

No. F-1/10/Jail/2001.—The State Government under the powers conferred by jail manual rule 815 (1) hereby appoints the following persons as Non Official Visitor's for Sub Jails, Balod and Bemetara for three years :—

No. (1)	Name of Jail (2)		Name of Visitors (3)
1.	Sub Jail, Balod	(i)	Dr. Pradeep Jain
		(ii)	Smt. Anuradha Ingle
2.	Sub Jail, Bemetara	(i)	Shri T. R. Janardan
		(ii)	Smt. Prabha Nivangi

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु पिल्ले जी, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक 1/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कोटराभांठा प. ह. नं. 69	222.210	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-2/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	मंदिर हसौद प. ह. नं. 73	1063.960	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-3/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	छतौना प. ह. नं. 74	226.880	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-4/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	रिको प. ह. नं. 73	332.560	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-5/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	रमचण्डी प. ह. नं. 72	218.889	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-6/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	बरौंदा प. ह. नं. 72	649.890	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-7/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	चींचा प. ह. नं. 72	310.920	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-8/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कायाबांधा प. ह. नं. 71	328.000	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-9/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	झांझ प. ह. नं. 71	128.730	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-10/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	राखी प. ह. नं. 71	327.550	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-11/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	नवागांव प. ह. नं. 71	284.280	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-12/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	खपरी प. ह. नं. 71	185.370	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-13/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	नवागांव प. ह. नं. 75	241.950	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-14/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	सेंध प. ह. नं. 68	193.650	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य कीनवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-15/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	परसदा प. ह. नं. 68	532.690	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-16/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कोटनी प. ह. नं. 68	452.070	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-17/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	पलौद प. ह. नं. 68	761.010	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-18/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कुहेरा प. ह. नं. 70	317.860	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-19/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	तांदुल प. ह. नं. 70	268.570	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-20/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	गुजरा प. ह. नं. 68	574.170	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-21/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	धमनी प. ह. नं. 69	307.110	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-22/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	गनौद प. ह. नं. 144	649.590	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-23/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	रीवां प. ह. नं. 68	685.284	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-24/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	खुटेरी प. ह. नं. 75	241.750	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-25/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	जरौद प. ह. नं. 68	325.820	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-26/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कुरूद प. ह. नं. 74	323.580	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-27/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	दरबा प. ह. नं. 75	386.530	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-28/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	नकटा प. ह. नं. 74	316.260	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-29/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	बकतरा प. ह. नं. 134	426.230	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-30/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	उमरिया प. ह. नं. 68	284.110	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-31/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	तूता प. ह. नं. 137	565.460	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-32/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	उपरवारा प. ह. नं. 137	863.280	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-33/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	खंडवा प. ह. नं. 139	462.930	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-34/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	केन्द्री प. ह. नं. 138	542.620	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-35/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	तेंदूआ प. ह. नं. 141	380.740	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-36/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	पौंता प. ह. नं. 140	261.520	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-37/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	बंजारी प. ह. नं. 141	326.600	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-38/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	खरखराडीह प. ह. नं. 142	267.140	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण-हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-39/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	नवागांव प. ह. नं. 142	274.290	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-40/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	चेरिया प. ह. नं. 141	265.140	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-41/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	कुर्रू प. ह. नं. 141	584.010	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-42/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	पचेड़ा प. ह. नं. 140	632.470	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-43/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	मुड़पार उर्फ भेलवाडीह प. ह. नं. 139	539.700	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-44/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	झांकी प. ह. नं. 139	170.800	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-45/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	बकतरा प. ह. नं. 75	512.160	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-46/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	सिंगारभाठा पं. ह. नं. 138	682.110	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-47/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	बेन्द्री प. ह. नं. 135	534.080	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-48/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	निमोरा प. ह. नं. 136	564.140	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-49/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	परसट्टी प. ह. नं. 136	180.890	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-50/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	भटगांव प. ह. नं. 116	264.065	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-51/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	माना प. ह. नं. 116	732.336	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-52/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	धनेली प. ह. नं. 117	350.821	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-53/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	बोरियाकला प. ह. नं. 117	911.722	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-54/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	टेमरी प. ह. नं. 115	340.706	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-55/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	बनरसी प. ह. नं. 115	292.202	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-56/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	धरमपुरा प. ह. नं. 115	433.609	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-57/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	सेरीखेड़ी प. ह. नं. 112	719.230	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-58/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	नकटी प. ह. नं. 111	432.632	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-59/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	कचना प. ह. नं. 110	632.455	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-60/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	तुलसी प. ह. नं. 111	524.690	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2002

क्रमांक-61/भू-अर्जन/अ/82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	पिरदा प. ह. नं. 111	484.109	अध्यक्ष, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़.	छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन राजधानी निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव